राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गिरधारी बनाम छाजूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/05/2012 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 580 रकबा 0.3750 हैक्टेयर का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड की दर्ज हिस्सानुसार टीनेंसी एक्ट 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2017 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया, उक्त निर्णय व डिक्री क्र विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 17/03/2020 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2017 को ख़ारिज करते हुए प्रकरण पुन: अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं के द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए प्रतिप्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात का निस्तारण करते हुए अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2022 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति को सरसरी तौर पर ख़ारिज करते हुए संक्षिप्त रूप से निर्णय पारित करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गिरधारी बनाम छाजूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे पक्षकारान द्वारा कुर्रेजात पर प्रस्तुत की गयी आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये वाद में अन्तिम डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है |

अत: अधिस्न्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर